हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 नवम्बर, 2010

संख्या लैज० 25/2010.—दि हरियाणा डिवे'लॅप्मॅन्ट ऐन्ड रे'गयुलेशॅन ऑव़ ॲ:बॅन ए'ॲरिॲज़ (ॲमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2010, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 9 नवम्बर, 2010, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2010 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में, खंड (जजक) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'(जजख) "अवसंरचना संवर्धन प्रभारों" में शामिल है, मुख्य अवसंरचना परियोजनाओं की संवर्धन की लागत;'।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप-धारा (5) के बाद, निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :–

"(6) उपनिवेशक अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुसार उपनिवेश तैयार करने तथा अनुमोदित डिजाइन तथा विनिर्देशनों के अनुसार आंतरिक विकास संकर्म निष्पादित करने के बाद, वह निदेशक को समापन अथवा आंशिक-समापन प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकता है। निदेशक, जैसा वह आवश्यक समझे ऐसा प्रमाण-पत्र प्रदान करने से पूर्व, ऐसे मामलों की जांच कर सकता है।

(7) उप-धारा (6) के अधीन जांच के बाद, निदेशक, लिखित आदेश द्वारा, यथाविहित ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर तथा अवसंरचना संवर्धन प्रभारों की वसूली के बाद, समापन अथवा आंशिक-समापन प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकता है :

परन्तु जहां किसी उपनिवेश की स्थापना के लिए निष्पादित करार में कोई शर्त जो कुल परियोजना लागत की 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम शुद्ध लाभ से अधिक अधिशेष राशि के निक्षेप के लिए सम्मिलित थी तथा उपनिवेशक ने उक्त परियोजना का समापन प्रमाण-पत्र नहीं लिया है, तो करार में उक्त शर्त के होते हुए भी, उपनिवेशक को या तो ऐसे समापन प्रमाण-पत्र को प्रदान करने से पूर्व किसी स्तर पर समय-समय पर यथा लागू अवसंरचना संवर्धन प्रभारों के निक्षेप के लिए तथा करार के निबन्धनों के अनुसार 15 प्रतिशत सीमा से अधिक शुद्ध लाभ की छूट प्राप्त करने या राशि जमा करने का विकल्प होगा।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 3क में,— 1975 के हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 3क का संशोधन।

(i) उप-धारा (6) में, "अवसंरचना विकास प्रभारों" शब्दों के बाद, "तथा अवसंरचना संवर्धन प्रभारों" शब्द रखे जाएंगे; तथा

(ii) उप-धारा (8) में, "अवसंरचना विकास प्रभारों" शब्दों के बाद, "तथा अवसंरचना संवर्धन प्रभारों" शब्द रखे जाएंगे; तथा

5. मूल अधिनियम की धारा 9 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 1975 के हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 9क का रखा जाना।

"**9क. सरकार द्वारा नियन्त्रण.**— निदेशक ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करेगा जो उसे सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए जारी किए जाएं।"।

आर० सी० बंसल,
विधि सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।